

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास विभाग
संख्या 844 /VII-1/2015/68-ख/2015
देहरादून: दिनांक: 31 जुलाई, 2015
कार्यालय ज्ञाप

मुख्य खनिजों के दोहन के लिए भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त को समाप्त करते हुए मुख्य खनिजों का आवंटन निविदा प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों से किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त अधिनियम के अनुसार मुख्य खनिजों के आवीक्षा परमिट (reconnaissance permit), प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस एवं खनन पट्टा जो कि भाग-क और भाग-ख की प्रथम अनुसूची में अधिसूचित हैं, को भारत सरकार की पूर्वानुमति के उपरान्त ही स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त समस्त खनन पट्टे की अवधि 50 वर्ष होगी। समस्त खनन पट्टे जो उक्त अधिनियम के निर्गत होने से पूर्व स्वीकृत किये गये थे, वे सभी निष्पादन के दिनांक से 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत समझे जायेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् उक्त क्षेत्र में उपलब्ध खनिज निक्षेप की कार्यवाही नीलामी के माध्यम से आवंटित की जायेगी।

अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में इंगित खनिज चूना पत्थर (Lime stone) राज्य में पाया जाता है। अतः उपरोक्त मुख्य खनिजों को खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने से पूर्व भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

विद्यमान खनन पट्टा धारकों एवं आवेदकों के अधिकार (Right of existing concession holders and applicants) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 12 जनवरी, 2015 से पूर्व प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे। उक्त अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने उपरान्त निम्नलिखित आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित हो सकेंगे :-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 11क के अधीन प्राप्त आवेदन।

(ख) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति यदि पूर्वोक्त लाईसेंसधारी से राज्य सरकार संतुष्ट होने पर स्वीकृत किसी खनिज का आवीक्षा परमिट (reconnaissance permit) एवं प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस (prospecting licence)

(ग) ऐसे आवेदन पत्र, जिनके द्वारा पी0एल0 और आर0पी0 की समयावधि समाप्ति के तीन माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है या राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 06 माह के विलम्ब का मर्षण कर दिया गया हो।

(घ) ऐसे आवेदन जिनका दिनांक 12.01.2015 से पूर्व पी0एल0/आर0पी0 स्वीकृत कर दिये गये हैं। (एम0सी0आर0 1960 के अनुसार जिसने लीज डीड की कार्यवाही कर ली हो)।

(ड.) ऐसे आवेदक, जिनको पूर्व में प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस जारी हुआ है और माइनिंग लीज के लिए आवेदन कर दिया है।

समस्त आवीक्षा लाईसेंस (R.P.), प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस Cum खनन पट्टा एवं खनन पट्टा के आवेदन पत्र भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के भूविज्ञान शाखा द्वारा खनिजीकरण की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण कर विज्ञप्तीकरण कर टेण्डर (नीलामी) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

खनिज लाईमस्टोन का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस Cum खनन पट्टा एवं खनन पट्टा के आवेदन पत्र भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के भूविज्ञान शाखा द्वारा खनिजीकरण की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण कर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त विज्ञप्तीकरण कर टेण्डर (नीलामी) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

वर्तमान में खान मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना सं० का.आ. 423(अ) दिनांक 10 फरवरी 2015 द्वारा 31 खनिज, जो कि मुख्य खनिज की श्रेणी के अर्न्तगत थे, को गौण/उपखनिज की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है : -

- (एक) अगेट (Agate)
- (दो) बॉल क्ले (Ball Clay)
- (तीन) बैराइट्स (Barytes)
- (चार) कैल्केरियस सैंड (Calcareous Sand)
- (पांच) कैल्साइट (Calcite)
- (छः) चॉक (Chalk)
- (सात) चिनी मिट्टी (China Clay)
- (आठ) अन्य क्ले (Clay others)
- (नौ) कोरुण्डम (Corundum)
- (दस) डायस्पोर (Diaspore)
- (ग्यारह) डोलोमाइट (Dolomite)
- (बारह) डूनाइट अथवा पायरोसेनाइट (Dunite or pyroxenite)
- (तेरह) फेलसाइट (Felsite)
- (चौदह) फेल्सपार (Felspar)
- (पंद्रह) अग्नि सह मृत्तिका (Fuschite Quartzite)
- (सोलह) फुस्काईट क्वार्टजाइट (Fuschite Quartzite)
- (सत्तरह) जिप्सम (Gypsum)
- (अठारह) जस्पर (Jasper)
- (उन्नीस) कयोलिन (Knolin)
- (बीस) लेटेराइट (Laterite)
- (इक्कीस) चूना कंकड (Lime Kankar)
- (बाइस) अभ्रक (Mica)
- (तेइस) ऑकर (Ochre)



- (चौबीस) पाइरोफाइलाइट (Pyrophyllite)
 (पचीस) क्वार्टज (Quartz)
 (छब्बीस) क्वार्टजाइट (Quartzite)
 (सताइस) बालू अन्य (Sand others)
 (अठाइस) शेल (Shale)
 (उनतीस) सिलिका बालू (Silica Sand)
 (तीस) स्लेट और (Slate and)
 (इकतीस) स्तोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन। (Steatite or Talc or Soapstone)

उपरोक्त घोषित उपखनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, बैराईट, सिलिका सैण्ड उत्तराखण्ड राज्य में पाया जाता है, जिसके खनन पट्टे वर्तमान में राज्य में संचालित हैं। उक्त अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित खनिज सोपस्टोन के अतिरिक्त 30 अन्य खनिजों को गौण खनिज (उपखनिज) घोषित किये जाने के कारण उक्त खनिजों के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टा आवंटन एवं खनिजों के विदोहन हेतु राज्यपाल निम्नवत नीति प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं —

उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति- 2015

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम गौण खनिज नीति, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएं | 2. | जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो—
(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;
(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;
(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो कमशः नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;
(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;
(छ) "शब्द और पद" जो परिभाषित नहीं है परन्तु सामान्य खण्ड |



अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टों की अवस्थिति 3.

पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टे अधिसूचना संख्या 423(अ) दिनांक 10-02-2015 के द्वारा घोषित उपखनिज के वर्तमान में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, बैराईट, सिलिका सैण्ड के चल रहे खनन पट्टे खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अधीन स्वीकृत हैं, उनके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगी :-

(एक) अवधि (पूर्व से चल रहे पट्टे हेतु) :-

- (1) 02 हैक्टेयर से 05 हैक्टेयर तक खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 25 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- (2) 05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(दो) खनन योजना का अनुमोदन :-

- (1) खनन योजना का अनुमोदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा किया जायेगा।
- (2) अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम आफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत करनी होगी।
- (3) खनन योजना स्कीम ऑफ माइनिंग का अनुमोदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा। जिन खनन योजना का स्कीम आफ माइनिंग को पुनः अनुमोदन किया जाना है वह पट्टा धारक पुनः स्कीम अनुमोदन कराये जाने हेतु आवेदन करेंगे।
- (4) यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। खान अधिकारी/ उपनिदेशक खनन यह सुनिश्चित करेंगे की कोई भी खनन योजना बिना अनुमोदन के संचालित न हो।
- (5) पट्टाधारक द्वारा खनन योजना सम्बन्धित खान अधिकारी/उपनिदेशक (खनन) के समक्ष रु० 20,000/-की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित खान अधिकारी अपनी आख्या के साथ खनन योजना स्कीम आफ माइनिंग/क्लोजर प्लान निदेशालय को अनुमोदन



हेतु प्रस्तुत करेंगे। प्रक्रिया में हुए विलम्ब हेतु खनन कार्य बन्दी नहीं होगा, जो खनन योजना (स्कीम आफ माईनिंग) प्रस्तुत नहीं की जायेगी उनके रवन्ने तत्काल प्रभाव से रोक दिये जायेंगे। आर०क्यू०पी० जो कि आई०बी०एम० द्वारा अधिकृत किये गये हैं, निदेशक से पुनः पंजीकरण प्राप्त होने तक मान्य रहेंगे। इस नीति के लागू होने के उपरान्त सभी आर०क्यू०पी० को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म में रू० 10,000/- की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा कराकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की अवधि 05 वर्ष के लिए मान्य होगी।

(तीन) बन्दी के उपरान्त पुनः खोला जाना:- जिन खनन पट्टों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा नोटिस देकर बन्द कराया गया था उन खनन पट्टों को पुनः खोले जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, निदेशक को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए निदेशक द्वारा अनुश्रवण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(चार) खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमति: जो खनन पट्टे खान सुरक्षा महानिदेशालय के अर्न्तगत आते हैं वे पूर्व की भाँति समस्त कार्यवाही खान सुरक्षा महानिदेशालय से करते रहे।

(पांच) खनन पट्टा क्षेत्र का अपरिहार्य भाटक : उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 की द्वितीय अनुसूची में मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित खनिजों हेतु अपरिहार्य भाटक निर्धारित किया जायेगा, जो कि वर्षा ऋतु को छोड़कर (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) आगामी माह की 20 तारीख को अग्रिम किस्त के रूप में जिला कोषागार में जमा की जानी होगी।

(छः) रायल्टी/स्वामित्व की दर : उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में मुख्य खनिज से घोषित हुए खनिजों पर रायल्टी/स्वामित्व की दर निर्धारित की जायेगी, जिसकी दर प्रति टन निकासी के आधार पर होगी। अग्रिम अपरिहार्य भाटक की मासिक किस्त का समायोजन निकासी खनिज की रायल्टी के अनुसार होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि रायल्टी या डेडरेन्ट अपरिहार्य भाटक में जो अधिक होगा देय होगा। जब तक राज्य सरकार द्वारा रायल्टी का निर्धारण नहीं किया जाता है तब तक पूर्व की दर

पर रायल्टी वसूल की जायेगी। अन्तर आगामी माह की 20 तारीख तक जमा करेंगे। उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में घोषित रायल्टी की दर लागू होने से पूर्व की गयी भुगतान की गई रायल्टी की दरें आई0बी0एम0 द्वारा अन्तिम घोषित दरें लागू होंगी।

(सात) खनन पट्टा विलेख हेतु स्टाम्प ड्यूटी : खनन पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित हेतु प्रति वर्ष निर्धारित अपरिहार्य भाटक की दर से खनन पट्टे की अवशेष अवधि की 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी पर खनन पट्टा विलेख किया जायेगा

(आठ) प्रतिभूति धनराशि: अपरिहार्य भाटक का 25 प्रतिशत अग्रिम में निदेशक के पक्ष में बन्धक करना होगा। पूर्व पट्टाधारकों को इससे छूट दी जायेगी।

(नौ) निजी भूमि धारक को प्रतिपूर्ति :- खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत मासिक निकासी की रायल्टी के बराबर समस्त भूस्वामियों के खनन पट्टे की भूमि की भागीदारी के अनुसार एवं निकासी वाले खेत को निकासी के दौरान उक्त के अतिरिक्त खेत से की गई निकासी के बराबर प्रतिकर दिया जायेगा। भूस्वामी की भूमि समतल कर खेत बनाकर दिये जाने की शर्त के साथ दिया जायेगा। इस हेतु जिलाधिकारी प्रतिपूर्ति निर्धारक अधिकारी होंगे। खनन पट्टा धारक निजी भूमि धारक से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र भूस्वामी एवं पट्टाधारक के मध्य विधिक अनुबन्ध होना अनिवार्य होगा।

(दस) बन्द पड़े खनन पट्टों का खनन पट्टा विलेख एवं पुनः चालू किया जाना :- ऐसे खनन पट्टे जो किसी भी कारण से बन्द पड़े हो ऐसे खनन पट्टों को बन्दी अवधि का वर्तमान में उपखनिज के अपरिहार्य भाटक की दर से 30 अक्टूबर, 2015 तक डेड रेन्ट जमा कर एक बार स्टैलमेन्ट के अन्तर्गत पट्टा विलेख कराकर खनन पट्टा बहाल करा सकते हैं।

(ग्यारह) बैंक गारन्टी:- पूर्व से संचालित खनन पट्टाधारकों को निदेशक के पक्ष में बैंक गारंटी रू० 2.00 लाख (रू दो लाख) 5.00 है० क्षेत्रफल तक तथा 5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू० 5.00 लाख (रू पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जानी होगी।

खनन पट्टा 4.
हस्तान्तरण सम्बन्धी
प्रकरण

(क) मृत्यु के उपरान्त : खनन पट्टा धारक की मृत्यु के उपरान्त खनन पट्टा धारक के विधिक वारिस के पक्ष में खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। उक्त खनन पट्टे की अवधि अवशेष खनन पट्टे हेतु होगी।

(ख) निजी भूमि के हस्तान्तरण : निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू-स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू-स्वामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। ₹0 5,00,000/- (₹0 पांच लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।

(ग) निजी भूमि से भिन्न भूमि पर हस्तान्तरण: नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर हस्तान्तरण होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन-देन को स्पष्ट होगा। ₹0 2,00,000/- (₹0 दो लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।

न्यूनतम क्षेत्रफल और
आकार 5.

(क) न्यूनतम क्षेत्रफल – निजी नाप भूमि में खनन पट्टे हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 है० एवं निजी भूमि से भिन्न (अर्थात् राजस्व भूमि आदि) न्यूनतम क्षेत्रफल 5.00 है० में एक खण्ड में होना आवश्यक होगा। ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेखों में रास्ता, गूल जैसे सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज हो को ही केवल निजी भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि निजी भूमि क्षेत्रान्तगत राजस्व भूमि खण्डों में आती है जिसका क्षेत्रफल आवेदित क्षेत्रफल के अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो, को सम्मिलित करते हुये खनन पट्टा देने पर विचार किया जा सकेगा। राज्य सरकार उक्त क्षेत्रफल की न्यूनतम सीमा को किसी विशेष परिस्थिति में निदेशक की संस्तुति पर 50 प्रतिशत तक शिथिल करने पर विचार कर निर्णय ले सकती है।

(ख) आकार— स्वीकृत क्षेत्र का ज्यामितीय आकार यथा त्रिभुजाकार या आयताकार आदि इस प्रकार हो कि सीमा स्तम्भ कम से कम हो।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित उपखनिजों हेतु आवेदन पत्र/ आवंटन

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित उपखनिजों हेतु आवेदन पत्र/ आवंटन :

(एक) आवेदन शुल्क:- 02 हैक्टेयर तक रु 2.00 लाख
02 हैक्टेयर से अधिक 05 हैक्टेयर तक रु 4.00 लाख
05 हैक्टेयर से अधिक रु 5.00 लाख

(दो) अवधि :- 02 हैक्टेयर से 05 हैक्टेयर तक 25 वर्ष
05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष की अवधि तक।

(तीन) आशय पत्र एवं खनन पट्टा आवंटन :- निजी नाप भूमि एवं राजस्व भूमि में प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धान्त को समाप्त करते हुए निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

(क) निजी नाप भूमि में भू-स्वामी या भू-स्वामी द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधार पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया जायेगा। आशय पत्र की शर्तों को पूर्ण कराने के पश्चात् शासन द्वारा खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा।

(ख) निजी नाप भूमि से भिन्न भूमि में टेण्डर/लाटरी, जैसा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निर्धारित किया जाये, खनन पट्टे शासन द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

(चार) पात्रता :-

(क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधन दिनांक 12.1.2015 एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 423(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु पूर्व से स्वीकृत समस्त प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स धारकों, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स हेतु जारी शासनादेश, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स हेतु जारी आशय पत्र एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स हेतु भेजी गई संस्तुति वाले आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टे हेतु ग्राह्य होंगे।

(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,

1957 के संशोधन दिनांक 12.1.2015 एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 423(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र जारी किया जायेगा।


(ग) निजी भूमि से भिन्न भूमि हेतु पात्रता पृथक से क्षेत्र की विज्ञप्ति के समय प्रकाशित की जायेगी।

- | | | |
|------------------------------------|-----|--|
| पर्यावरण अनुमति | 7. | समस्त खनन पट्टों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का०आ० 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या 1621/VII-I/212-ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। |
| खनिज अन्वेषण | 8. | विभाग द्वारा औद्योगिक खनिजों (चूना पत्थर, सोपस्टोन, बेराईट, सिलिका सैण्ड आदि) का विकास एवं खनिज अन्वेषण का कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा। चिन्हिकृत क्षेत्रों के टेण्डर आदि की प्रक्रिया विभाग के खनन शाखा द्वारा की जायेगी। |
| रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (Dead rent) | 9. | राज्य में पाये जाने वाले सोप स्टोन की रायल्टी, जो कि उच्च श्रेणी (Cosmetic grade) का पाया जाता है, उच्च श्रेणी व प्रथम श्रेणी को मिश्रित कर सोप स्टोन की विभिन्न श्रेणियाँ बाजार में विक्रित की जाती हैं। राज्य में सोप स्टोन का विक्रय मूल्य ₹ 5,000 प्रति टन से लेकर ₹ 10,000 प्रति टन है, इसलिए बाजार एवं चोरी की संभावना को न्यून करने के दृष्टिगत रखते हुए सोप स्टोन की रायल्टी उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-21 रायल्टी की प्रथम अनुसूची एवं नियम-22 अपरिहार्य भाटक की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित संशोधित दरों के अनुसार लागू होगी। |
| टिन नम्बर | 10. | समस्त खनन पट्टा धारकों को खनन पट्टे का टिन नं० देना अनिवार्य होगा। |
| प्रशिक्षण | 11. | (क) खनिजीकरण का आंकलन आदि कार्यो हेतु भूविज्ञान, रसायन, सर्वेक्षण, मानचित्रण विद्या के लोगों को आधुनिक पद्धति से सफलतापूर्वक संचालन हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु व्यवस्था की जायेगी। |



- (ख) खनन योजना के अनुमोदन, स्कीम आफ माईनिंग के अनुमोदन एवं खनन प्रशासन सम्बन्धी आधुनिक पद्धति से सफलतापूर्वक संचालन हेतु खनन विद्या के अधिकारियों एवं खनन प्रशासन का फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किये जाने हेतु व्यवस्था की जायेगी।
- (ग) कार्यालय अभिलेखों के रखरखाव एवं कार्यपद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्यालय मिनिस्ट्रीयल स्टाफ को आधुनिक पद्धति से सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

आज्ञा से,


(रिक्श शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **844**, Dehradun, dated **31/7/2015** for general information.

Government of Uttarakhand
Industrial Development Section
No. **844** /VII-1 /2015/68-Kha/ 2015
Dehradun, Dated : **31** July, 2015

NOTIFICATION

For exploitation of major minerals the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 2015 is enacted by the Government of India. In this Act with repeal of the principle first come first serve, the major minerals shall be allotted through tender method according the direction given by the Government of India.

According the said Act the reconnaissance permit, prospecting license and mining lease who is notified in the first list of Part-A and Part-B may be sanction after prior permission of the Government of India. In addition all mining lease period shall be 50 years. All mining who was sanctioned prior of the commencement of this Act, may all are shall be deemed sanction for the period of 50 years from the date of execution. After said period disposal of the available minerals in the said area, the proceeding of allotment shall be made through the auction.

The lime stone as mentioned in the fourth schedule of the Act is found in the State. Therefore before the sanction on minerals concession to the above major minerals, the prior permission of the Government of India is necessary.

Right of existing concession holders and applicants shall be deemed canceled all applications before the commencement of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 2015 by means 12 January, 2015. After the commencement of the Act, 2015, the following application may be include in the category of eligibility ---

- (a) Application received under section 11A of the said Act.
- (b) Regarding any land prior from the commencement of this Act if the State Government is satisfied with the prior license holder than reconnaissance permit and prospecting license of any sanctioned mineral.
- (c) Such applications which is produced within the three month of the expiration of the time period of PL and RP.



(d) Such applications whose PL/ RP has been sanctioned prior from the date of 12-01-2015 (the proceeding of lease date has been made according MCR-1960).

(e) Such applicant whose prospecting license has been issued and make apply for mining lease.

The all applications of RP, prospecting license cum mining lease and application of mining lease shall be obtained through the tender (auction) by comminque with the fixation of area on the basis of availability of minerals by the geologist branch of geologist and mining unit.

The prospecting license cum mining lease and application of mining lease shall be obtained through the tender (auction) after the comminque with the fixation of area on the basis of availability of minerals by the geologist branch of geologist and mining unit after the permission obtained from the Government of India.

Such minerals who was within the category of major minerals, they are declared category of Secondary /Minor Minerals under the notification No. 423(A) dated 10 February, 2015 of Ministry of Mining, Government of India in the present time, whose details are as follows---

- (one) Agate;
- (two) Ball Clay;
- (three) Barytes;
- (four) Calcareous Sand;
- (five) Calcite;
- (six) Chalk;
- (seven) China Clay;
- (eight) Clay others;
- (nine) Corundum;
- (ten) Diaspore;
- (eleven) Dolomite;
- (twelve) Dunite or pyroxenite;
- (thirteen) Felsite;
- (fourteen) Felspar;
- (fifteen) Fuschite Quartzite;
- (sixteen) Fuschite Quartzite;
- (seventeen) Gypsum;
- (eighteen) Jasper;
- (nineteen) Knolin;
- (twenty) Laterite;
- (twenty one) Lime Kankar;



- (twenty two) Mica;
- (twenty three) Ochre;
- (twenty four) Pyrophyllite;
- (twenty five) Quartz;
- (twenty six) Quartzite;
- (twenty seven) Sand others;
- (twenty eight) Shale;
- (twenty nine) Silica Sand;
- (thirty) Slate; and
- (thirty one) Steatite or Talc or Soapstone.

Minor minerals soapstone, dolomite, barite, silica sand as declare above is found in the State of Uttarakhand which mining lease are in operation in the present time in the State. Due to declaration of Secondary minerals (minor minerals) to 30 other minerals in addition of soapstone mineral by the said notification dated 10 February, 2015, the Governor is pleased to promulgate the following policy for exploitation of minerals and prospecting license /mining lease allotment of said minerals-----

The Uttarakhand Secondary Minerals Policy, 2015

- | | |
|---|--|
| Short Title
and
Commencement | 1. (1) These Policies may be called the Uttarakhand Secondary Minerals Policy- 2015.

(2) It shall come into force at once. |
| Definitions | 2. In these policies, unless the context otherwise requires,--

(a) “Governor” means the Governor of the Uttarakhand ;

(b) “Collector” means the chief in-charge of administration of a any district revenue officer;

(c) “Government” means the State Government of Uttarakhand;

(d) “Commissioner” means the chief in-charge of administration of revenue officer in any divisions;

(e) “Local officer” means the Nagar Panchayat, Municipality, Municipal corporation and bodies of district board or other authorities, who is legally entitle of management or control by vest in the Nagar Panchayat, Municipality, Municipal |



corporation and district Panchayat respectively;

(f) “**persons**” included any company or community or person bodies whether corporate or not;

(g) “**word and expressions**” not defined but defined in the General Clauses Act, 1904, shall have the meaning assigned to them in the Act;

The location of the former running minerals leases

3. The mining lease as running prior the notification dated 10-02-2015, minerals regarding soapstone, dolomite, barite, silica sand who is declared minor minerals in present time are sanctioned under the Minerals Concession Rules, 1960 , the following proceedings to be made for there---

(one) Term- (for former running lease) :-

(1) upto 2 hectare to 5 hectare, on the request of mining lease holder, with the recommendation of the Director, geologist and mining, for a period of 25 years sanction shall be provide by the Government.

(2) in case of area more than 5 hectare on the request of mining lease holder, with the recommendation of the Director, geologist and mining, for a period of 50 years sanction shall be provide by the Government.

(two) Approval of mining scheme-

(1) the approval of scheme of mining shall be made by the Director, geologist and mining.

(2) the scheme of mining shall be submitted before the Director, geologist and mining before 3 month of the expiration of approved scheme of mining.

(3) the approval of scheme of mining shall be made by the Director, geologist and mining. Such mining scheme whose scheme of mining be reapproved, same lease holder shall apply for re-approval of scheme.

(4) If the approved period has been expired, such mines be closed atonce. The mining officer / Deputy director, mining shall ensure that nobody mining scheme is running without approval of



scheme.

(5) The lease holder for concerning mining scheme shall submitted with the copy of challan after deposition through the treasury challan in the prescribed account head of Rs. 20,000.00 before the concerning mining officer/ deputy director mining. The concerning mining officer shall submitted for approval of the scheme of mining /closer plan to the directorate with his report. For delay due to procedure the mining work shall not be closed, whose mining scheme (scheme of mining) shall not be submitted his challan shall be stocked at once. RQP who is authosied by the IBM shall be valid up to the date of re registration from the director. After the commencement of this policy all RQP shall deposit Rs. 10,000 in the prescribed account head as a registration fee to the director, geologist and mining and the registration shall be necessary. The registration shall be valid for a period of five years.

(three) Re opening after closing:- Such mining who was closed with notice by the Indian Mining Bureau, for opening of such mining lease the report after monitoring shall be provided by the director with the intimation of status to the district magistrate, in which the final decision shall be taken by the Government.

(four) The permission of the Directorate General of mining security- Whose mining lease within the director of general security, all proceedings as per norms shall be continue by the Directorate General of mining security.

(five) Dead rent of mining lease area:- For declared minerals from major minerals to minor minerals in IInd Schedule of the Utrakhand Minor Mineral Concession Rules, 2001 shall be prescribed dead rent who is shall be deposited in the district treasury as a advance installment to every date of twenty of the preceding month except rainy season (July, August, September).

(six) Rate of Royalty/ ownership:- For declared minerals from major minerals to minerals in Ist Schedule of the Utrakhand Minor Mineral Concession Rules, 2001 which rates shall be



on the basis of per tonne of the out coming. The adjustment of monthly installment of the advance dead rent shall be according of royalty of the out coming minerals. Provided that the royalty or dead rent whichever is more shall be admissible. Upto prescription of the royalty, the royalty shall be recovered on the prior rates. The deferent shall be deposited upto 20 dates of the preceding month. Rate of royalty paid prior to the commencement of the declared rate of royalty in the Utrakhand Minor Minerals Concession Rules, 2001 shall be final declared rates by the IBM.

- (seven) Stamp duty for mining lease deed:-** For declared minerals from prescribed major minerals to minor minerals in IInd Schedule of the Utrakhand Minor Mineral Concession Rules, 2001 shall be taken mining lease deed on stamp duty at the rate of 2% of remaining of period of mining lease at the rate of prescribed dead rent in a every year.
- (eight) Security amount:-** 25% of dead rent in advance as security amount shall be mortgage in favour of director. Former lease holder shall be exempted.
- (nine) Reimburse to private land holder:-** According the participation of land of mining lease of all land owners equivalent of royalty of monthly out coming under the mining lease area and equivalent reimbursement of out coming from the additional field of said during the out coming of the field shall be paid. The land of land owner shall be taken with the condition of that his field shall be returned with the plain field. For this the district magistrate shall be the reimbursement prescriber officer. For receiving reimbursement by the private land holder from the mining lease holder, a legal agreement shall be necessary between the land owner and lease holder.
- (ten) Deed of closed mining leases and be re-open:-** Such mining leases who is closed in any reason may re-open of such mining leases with the execution of deed lease under the one time settlement with the deposition of dead rent upto 30 October, 2015 at the rate of dead rent of minor mincrals in



the present time.

(eleven) Bank guarantee:- Upto 5 hectare Rs. 2 lakh Bank guarantee in favour of director and more than 5 hectare Rs. 5 lakh submitted in relation of mining schemes, mining scheme and regular mining closed schemes by the prior running mining lease holders.

Matter related to mining lease transfer

4. (a) **After death:** After the death of the mining lease holder with the recommendation of the district magistrate and the director, transfer of mining lease in favour of legal representative of the mining lease holder shall be made by the Government. The duration of said lease shall be for the remaining period of mining lease.
- (b) **Transfer of private land:-** Consent of all land owners who is approved by the revenue department on the aid or removable of partnership in the sanctioned minor lease in the private land with the recommendation of the district magistrate and director a mining lease shall be transfer to the appropriate person according the rules by the State Government. The financial transaction shall be clear. Transfer fee of Rs. 5 lakh shall be deposited in the prescribed head of account.
- (c) **Transfer of other land from private land:-** According the rules, the permission of transfer to the appropriate person shall be made by the Government after the recommendation of district magistrate and director. The financial transaction shall be clear. Transfer fee of Rs. 2 lakh shall be deposited in the prescribed head of account.

Minimum area and size

5. (a) **Minimum areas:** Minimum 2.00 hectare area for mining lease in the private measurement land and other than private land (by means revenue land) minimum area 5.00 hectare shall be necessary in a part. Such land as mentioned path, canal etc. in the revenue record shall be included only with the private land. If the private land is within the revenue rent part which area upto the maximum 25% of applied area than to give the mining lease may be considered. The State Government take decision after due consideration for exemption upto 50% on the



recommendation of the director in special circumstances to the minimum limit of the said area.

(b) Size:- The geometrical size of sanctioned area as triangle or rectangular etc. shall be such the limit column could be minimize.

**Application /
Allotment for
the minor
minerals
declared by 10
February, 2015
by the ministry
of mines,
Government of
India**

6. Application / Allotment for the minor minerals declared by 10 February, 2015 by the Ministry of Mines, Government of India:

(one) application fee:- Rs. 2.00 lakh upto 02 hectare.

Rs. 4.00 lakh 02 hectare more than upto 05 hectare.

Rs. 5.00 lakh upto 05 hectare.

(two) Terms: - 25 years from 02 hectare up to 05 hectare.

In case of area more than 5 hectare than the recommendation of the director geologist and mining in the request of mining lease holder upto 50 years.

(three) Intent letter and mining lease allotment- With cancelation of first cum first serve principle in the Private measurement land and revenue land, the following provisions is hereby prescribed-

(a) The intent letter shall be issue for mining lease by the Government on the recommendation of director geologist and mining on the basis of verified concurrent by the notary by land owner or land owner in private measurement land. After the completion of terms of the intent letter, the mining lease shall be allotted by the Government.

(b) The tender/lottery in the land other than private measurement land as fixed by the director geologist and mining, the mining lease shall be allotted by the Government.

(four) Eligibility:-

(a) For declared secondary minerals by Mine and Mining (Development and Regulation) Act, 1957, amended dated 12-1-2015 and notification no. K.A.423(a) dated 10 February,



2015, before the above dated all sanctioned prospecting license holder, issued GO for prospecting license, issue intent letter for prospecting license and forwarded recommendation for prospecting license by the director, geologist and mining, after the depositing prescribed application fee, on the recommendation of the director, the mining leases shall be admitted.

- (b) On the receiving application for declared secondary minerals by Mine and Mining (Development and Regulation) Act, 1957, amended dated 12-1-2015 and notification no. K.A.423 (a) dated 10 February, 2015, after the depositing prescribed application fee, on the recommendation of the director, the intent letter for mining lease shall be issued.
- (c) Other land than private land the eligibility shall be published and the time of communiqué of the area separately.

Environmental permission

7. The environmental permission be necessary obtain according the Go No. 1621/VII-I/212-B/2014 dated 17 December 2014 in continuation of notification no. K.A. 2601 (a) dated 07 October, 2014.

Minerals investigation

8. The work of investigation of development and minerals of industrial minerals (lime stone, soap stone, barriet, selika sand. etc.) shall be made by the department. The procedure of tender etc. of identified areas shall be made by the mining branch of the department.

Royalty/Dead rent

9. Royalty of soap stone be found in the State which is found cosmetic grade, the different categories of soap stone with mixed the cosmetic grade and first class grade, is sold in the market. The sales rate of the soap stone in the State is Rs. 5000 per tonne to Rs. 10000 per tonne. Therefore in view to minimize the possibilities of market and evasion, the prescribed amendment grades shall be applicable according the second schedule of dead rent rule 22 and first schedule of royalty rule 21 of the Utrakahand Minor Minerals Concession Rules, 2001.

TIN number

10. All mining lease holders shall be necessary to give the number of tin in mining lease.



Training

11. (a) For the work of estimate of minerals mining, the persons of geologist, chemistry, survey, mapping education shall be made trained for successfully operation by the modern method.
- (b) To approve mining planning, approval of scheme of mining and mining administration related modern method shall be trained.
- (c) To maintain office record and confirm the work culture in the offices, the ministerial staff also be trained.

By order,


(Rakesh Sharma)

Additional Chief Secretary.